प्रेस विज्ञप्ति

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने भारत के राजपत्र में अधिसूचित खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) द्वितीय संशोधन विनियम, 2023 के माध्यम से मिलेट के लिए एक व्यापक समूह मानक तय किया है। ये मानक 1 सितंबर 2023 से लागू होगा।

मिलेट छोटे दाने वाली अनाज व खाद्य फसलों का समूह है जिनका उत्पादन सूखे और अन्य चरम मौसमी स्थितियों में भी की जाती हैं जिसमें उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे कम रासायनिक पदार्थो की आवश्यकता होती है। अधिकांश मिलेट की फसलें भारत की मूल फसलें हैं और वे मानव शरीर के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक अधिकांश पोषक तत्व प्रदान करती हैं।

मिलेट ग्लूटेन फ्री होते हैं; ग्लाइसेमिक इंडेक्स (जीआई) में कम; और कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस आदि सहित आहार फाइबर और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर होते है। बाजरा आदर्श रूप से हमारे दैनिक आहार का एक अभिन्न अंग होना चाहिए।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मार्गदर्शन नोट ("बाजरा - पोषक-अनाज") बाजरा की खपत के पोषण संरचना और लाभों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करता है।

(संदर्भ:
https://www.fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/Guidance_Notes_Version_2_Millets_29_01_2020.pdf)

मिलेट के उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने और जागरुकता फैलाने के लिए अप्रैल 2018 में बाजरा को "न्यूट्री अनाज" के रूप में ब्रांड किया गया। साल 2018 को राष्ट्रीय स्तर पर मिलेट वर्ष के रूप में भी नामित किया गया। बाद में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 में अपने 75वें सत्र में 2023 को मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष (IYM 2023) घोषित किया। मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष (IYOM) - 2023 वैश्विक उत्पादन, कुशल प्रसंस्करण और फसल रोटेशन के बेहतर उपयोग को बढ़ाने और मिलेट को खाद्य टोकरी के एक प्रमुख घटक के रूप में बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करेगा।

वर्तमान में, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियमों 2011 में केवल कुछ मिलेट जैसे सोरघम (ज्वार), साबुत और छिले हुए बाजरा अनाज (बाजरा), रागी (रागी) और अमरनाथ जैसे कुछ मिलेट के लिए व्यक्तिगत मानक निर्धारित हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने अब 15 प्रकार के मिलेट के लिए एक व्यापक समूह मानक तैयार किया है, जिसमें 8 गुणवत्ता मानकों को निर्दिष्ट किया गया है, जैसे कि नमी की मात्रा, यूरिक एसिड की मात्रा, बाहरी पदार्थ, अन्य खाद्य अनाज, दोष, घुन वाले अनाज, और अपरिपक्व और सूखे अनाज के लिए अधिकतम सीमा। घरेलू और वैश्विक बाजारों में अच्छी गुणवत्ता (मानकीकृत) वाले मिलेट की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

समूह मानक निम्नलिखित मिलेट पर लागू होते है:

1.एमेरेन्थ (चौलाई या राजगिरा)

2. बार्नयार्ड मिलेट ((समेकचावल या

सांवा या झंगोरा)

3. ब्राउन टॉप (कोरले, मुरात)

4. बकव्हिट मिलेट (कुट्टू)

5. क्रैब फिंगर (सिकिया)

6. फिंगर मिलेट(रागी या मंडुआ)

7. फोनियो (आचा)

8. फॉक्सटेल मिलेट (कंगनी या काकुन)

9. जॉब्स टीयर्स (एडले)

10. कोदो मिलेट(कोदो)

11. छोटी मिलेट (कुटकी)

12. पियर्ल मिलेट (बाजरा)

13. प्रोसो मिलेट (चेना)

14. सोरघम मिलेट(ज्वार)

15. टेफ़ (लव ग्रास)